मैसर्स मेंथा एंड एलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड

विरुद्ध

केन्द्रीय उत्पादन आयुक्त, मेरठ

5 मई, **2004**

राजेन्द्र बाबू, मुख्य न्यायाधिपति और जी पी माथुर, न्यायाधिपति

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, **1944**

धारा **11** ए, थोक दवाएं - मेंथल आईपी - टूथपेस्ट पाउडर व शेविंग क्रीम के उत्पादन में इसका उत्पादन - निर्धारिति द्वारा इनका वर्गीकरण थोक दवाओं में किया गया - निर्धारित मेंथल निर्धारिति द्वारा साफ किया गया है कि वह एक तत्व की तरह अथवा अपने आप में किसी भी तैयारी में काम में नहीं आता जैसे कि औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, **1940** में प्रयुक्त किया गया है - निर्धारिति अधिसूचना सं **29/88** - सीई दिनांक **1.3.88** के तहत दिया गया छूट का फायदा उठाने के योग्य नहीं है - परंतु धारा **11** ए के तहत उससे दंड की वसूली के लिए परिसीमाकाल में बढ़ेतरी को प्रयुक्त किया जाना उचित नहीं है - औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, **1940** - औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, **1987** - केंद्रीय उत्पादन टैरिफ एक्ट अधिनियम, **1985**

शब्द एवं वाक्यांश

अभिव्यक्ति थोक दवाएं जो अधिसूचना सं. **31/88 -** सीई दिनांक **1.3.88** में आया है का तात्पर्य।

"सूत्रीकरण" जो औषधि **(**मूल्य नियंत्रण**)** आदेश**, 1987** में आया है**,** का तात्पर्य।

निर्धारिति कंपनी मेंथल आईपी के उत्पादन में लबी हुई थी जिसका लाइसेंस औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम**, 1940** के तहत प्राप्त हुआ था। इस कंपनी ने उत्पादनों का विज्ञप्ति सं**. 31/88 -** सीई दिनांक **1.3.88** के तहत छूट का फायदा लिया व उनका वर्गीकरण थोक औषधि के रूप में काम में लिया। बाद में आयुक्त**,** केंद्रीय उत्पाद ने एक कारण बताओ नोटिस निर्धारिति को जारी किया कि उसने गलत तरीके से इस विज्ञप्ति के तहत यह फायदा उठाया। अंततः निर्धारिति को यह कहा गया कि वह उत्पाद कर की अंतर राशि दंड स्वरूप जमा कराये। निर्धारिति की अपील उत्पादन आबकारी एवं सोना **(**नियंत्रण**)** की अपीलीय अधिकरण ने ठुकरा दी। और यह तय किया कि निर्धारिति द्वारा जो मेंथल तैयार किया गया वह किसी भी माल की तैयारी में नहीं किया गया जैसा कि औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम**, 1940** में दिया गया है अतः निर्धारिति अधिसूचना **31/88** का फायदा उठाने योग्य नहीं है।

निर्धारिति द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील में यह तर्क दिया गया कि उत्पादन का अंतिम प्रयोग का पता लगाया जाना अप्रासंगिक है।

अपील को आंशिक तौर पर स्वीकृत करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1. विज्ञप्ति संख्या **31/88 -** सीई दिनांक **1.3.88** के स्पष्टीकरण को देखते हुए अभिव्यक्ति थोक औषधियों का तात्पर्य वही होगा जो औषधि **(**मूल्य नियंत्रण**)** आदेश**, 1987** में दिया गया है। पदार्थ को उसी रूप में प्रयुक्त करना चाहिए या एक तत्व के रूप में प्रयुक्त करना चाहिए जैसा औषधि **(**मूल्य नियंत्रण**)** आदेश**, 1987** में दिया गया है। सूत्रीकरण अभिव्यक्ति एक औषधि के संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है। जो एक थोक औषधि से तैयार की गयी है। अतः जब मेथोल औषधि का प्रयोग अपीलार्थी ने मेंथल आईपी के रूप में टूथपेस्ट पाउडर व शेविंग क्रीम बनाने के काम में लिया तो उसे ऐसे सूत्रीकरण के लिये काम में लाया जाना नहीं कहा जा सकता जिससे कोई औषधि सूत्रीकृत हुई हो। अथवा उसमें एक या उससे ज्यादा थोक औषधि हो। अधिकरण द्वारा व्यक्त विचार चुनौती योग्य नहीं है।

भारत संघ बनाम साइटिक इंडिया लिमिटेड **(2002) 146** ईएलटी एसी, कैलिबर कैमिकल्स विरुद्ध केंद्रीय उत्पाद आयुक्त, सूरत **(1998) 98** ईएलटी **755,** को नहीं माना गया।

2. जहां तक धारा **11** ए के प्रयोग का प्रश्न है कि दंड किस प्रकार लगाया जाये, परिस्थितियों में धारा **11** ए का प्रयोग उचित नहीं है। दंड का लगाया जाना वर्तमान

मामले में उचित नहीं होगा तथा बढ़े हुए परिसीमाकाल का प्रयोग औचित्यपूर्ण नहीं है। **(162-ई-एफ)**

साइटिक इंडिया लिमिटेड बनाम भारत संघ **(1993) 66** ईएलटी **56,** बम्बई प्रस्तुत किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार - सिविल अपील सं **922/1998**

केंद्रीय आबकारी उत्पाद एवं सोना नियंत्रण अपीलीय अधिकरण नई दिल्ली द्वारा एफओ सं**. 560/97 -** सी जो ए सं**.** ई**/4748/1992 -** सी में किये गये निर्णय व आदेश दिनांक **4.11.97** के विरुद्ध

जोसेफ वेल्लापल्ली**,** थाॅमस वेल्लापल्ली एवं के**.** वी**.** मोहन **-** अपीलार्थी की ओर से।

संजीव सेन एवं बी**.** कृष्णा प्रसाद **-** प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय द्वारा सुनाया गया।

राजेन्द्र बाबू**,** मुख्य न्यायाधिपति

हमारे समक्ष अपीलार्थी एक कंपनी है जो मेंथल आई पी**,** मेंथल वीपी**,** मेंथल यूएसपी एवं मेंथा ऑयल आईपी का उत्पादन करती है। अपीलार्थी अपनी कार्यवाहियां औषधि नियंत्रण अधिकारियों की नजरों में कर रहीं थी जो औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम**, 1940** के तहत कर रही थी। इस लाइसेंस के कारण अपीलार्थी मेंथल

आई पी, मेंथल वीपी, मेंथल यूएसपी एवं मेंथा आॅयल आईपी का उत्पादन करने के काबिल थी।

1.3.88 को एक अधिसूचना सं. **31/88 -** सीई विभाग द्वारा जारी की गई जो निम्न प्रकार है।

"केंद्रीय उत्पादन नियम, **1944** के उपनियम एक के नियम **8** के उपनियम एक के तहत प्रदत्त शक्तियों द्वारा केंद्रीय सरकार ने नीचे दी गई तालिका के काॅलम **2** में बतायेे गये माल को जो अध्याय **28, 29** व **30** में आता है, में केंद्रीय उत्पादन टैरिफ एक्ट की अनुसूची में केंद्रीय उत्पादन एवं टैरिफ एक्ट **1980 (1985** का **5)** में आता है उसे कर से मुक्त करके जो उत्पादन कर जो उनसे उगाहे जाने योग्य है व इस अनुसूची के अनुसार इस तालिका के काॅलम **3** से संबंद्ध दर पर जिसकी गणना की गई है।

क्र.सं.	माल का विवरण	कर की दर
1.	थोक औषधियां **(**जिनमें नमक, ईस्टर्स एवं यौगिक यदि कोई हो**)** जो औषधि **(**मूल्य नियंत्रण आदेश, **1970)** के प्रथम अनुसूची में दिये गये हों जो समय-समय पर संशोधित हुई है।	शून्य
2.	अन्य थोक औषधियां	**5** प्रतिशत मूल्यानुसार
3.	औषधि श्रेणी ऑक्सीजन	शून्य

4.	औषधि श्रेणी हाइड्रोजन पेराॅक्साइड	शून्य
5.	चेतना-शून्य करने वाली औषधियां	शून्य

स्पष्टीकरण -

इस विज्ञप्ति में "थोक औषधियां" शब्द का तात्पर्य वहीं होगा जो औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, **1987** में दिया गया है।

यह विज्ञप्ति हमें अभिव्यक्ति थोक औषधि का तात्पर्य बताती है कि जो औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, **1987** में दिया गया है। थोक औषधि की परिभाषा नीचे दी गयी है।

"थोक औषधि" का तात्पर्य ऐसी कोई भी वस्तु है जो दवा, रसायन, जीव विज्ञान अथवा पौधे का उत्पादन है या औषधि गैस है। फार्माेकाॅपियल या अन्य मानकों के अनुरूप है जो औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, **1940 (1940** का **23)** में दिये गये हैं। जिसे मूल स्वरूप में काम में लाया गया है या किसी माल तैयारी के लिए एक तत्व के रूप में काम में लाया गया है।

अपीलार्थी का कथन है कि वह थोक औषधि के तहत मेंथल का उत्पादन कर उसे विक्रय कर रहा है जैसा कि ऊपर वर्णित विज्ञप्ति में बताया गया है तथा वर्गीकरण की सूची में आता है। उसके द्वारा उचित रूप में रिटर्न भरे गये और माल हटाया गया। अपीलार्थी **27.6.90** तक इस छूट का फायदा लेता रहा। **27.6.90** को सहायक आयुक्त केंद्रीय उत्पादन रामपुर ने प्रस्तावित किया कि अपीलार्थी यह फायदा न उठाते

हुए उत्पादन कर अदा करेगा तथा उसने एक कारण बताओ नोटिस जारी किया कि क्यों नहीं उस पर दंड आरोपित किया जाये। इस पर अपीलार्थी ने आपत्ति उठायी कि सहायक आयुक्त इस योग्य नहीं कि वे कारण बताओ नोटिस जारी कर उत्पादन कर पिछले छः माह से अधिक की अवधि के लिए मांगे। इसके बाद आयुक्त केंद्रीय उत्पादन मेरठ ने उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया एवं आरोप लगाया कि अपीलार्थी ने गलत तरीके से **31/88** दिनांक **1.3.88** का फायदा अप्रैल **88** से दिसंबर **88** व जनवरी **90** से **5.4.90** तक उठाया है। अपीलार्थी को सुनने के बाद व उसके द्वारा प्रस्तुत जवाबों का अवलोकन करने के बाद आयुक्त ने अंततः यह निर्णित किया कि अपीलार्थी ने अंतर राशि का गलत उपभोग किया है अतः दो लाख रु. का दंड जमा करावे।

यह मामला उत्पादन आबकारी एवं सोना (नियंत्रण) अपीलीय अधिकरण, जिसे हम आगे चलकर अधिकरण कहेंगे के यहां अपील में ले जाया गया जिसने इस आधार पर अपील अस्वीकृत की है कि अपीलार्थी ने जो मेंथल काम में ली है उसे मेंथल अथवा एक तत्व के रूप में काम में नहीं लिया है जैसा कि औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम **1940** में बताया गया है अतः अपीलार्थी विज्ञप्ति सं. **31/88** सीई दिनांक **1.3.88** का फायदा उठाने योग्य नहीं है।

वह आधार जिसके अनुसार अधिकरण आगे बढ़ी यह है कि थोक औषधि की परिभाषा जो दी गयी है उसे उसी अनुसार माना जायेगा अथवा उसे किसी तत्व के रूप

में किसी तैयारी या माल में प्रयुक्त किया गया हो। तैयारी का तात्पर्य यह है कि एक दवा को तैयार किया गया है अथवा उसमें एक से ज्यादा थोक औषधि है अतः अधिकरण ने यह विचार व्यक्त किया कि मेंथल आई पी जो अपीलार्थी ने साफ की है वह मेंथल आई पी के रूप में प्रयुक्त की जा रही है न कि एक तत्व के रूप में उसके द्वारा तैयार माल में प्रयुक्त की जा रही है जैसा कि औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1987 में दिया गया है। अतः अपीलार्थी विज्ञप्ति सं. 31/88 - सीई दिनांक 1.3.88 का फायदा पाने योग्य नहीं है। अपीलार्थी की ओर से हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया है कि इस न्यायालय ने भारत संघ बनाम साइटिक इंडिया लिमिटेड, (2002) 146 ईएलटी 259 एससी में निर्धारित किया है कि समान विज्ञप्ति के उद्देश्य से उत्पादन का अंतिम उपयोग मालूम करना उचित नहीं है। इस न्यायालय ने अधिकरण के एक आदेश जो केलिबर केमिकल्स बनाम आयुक्त केन्द्रीय उत्पादन सूरत के (1998) 98 ईएलटी 755 में सिविल अपील सं. 4790 का निस्तारण 8.12.97 को करते हुए निर्धारित किया कि विमुक्ति के उद्देश्य से विमुक्ति सं. 8.12.95 - सीई एक अंतिम उपयोग प्रमाण पत्र पोटेशियम आयोडाईड के लिए आवश्यक नहीं है ताकि इसे थोक औषधि के रूप में कर से मुक्त किया जा सके औषधि विज्ञप्ति के अनुसार पोटेशियम आयोडाईड का प्रयोग आयोडाइज्ड नमक के निर्माण में किया गया है और इस बात में कोई विवाद नहीं है कि पोटेशियम आयोडाईड में औषधीय गुण है।

इन सब निर्णयों का आधार वह विज्ञप्ति है जो विभिन्न न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। इन सब न्यायालयों के मामलों में किये गये निर्णयों से यह बहुत

स्पष्ट नहीं है कि क्या कोई अभिव्यक्ति प्रयुक्त की गई है एवं न्यायालय का ध्यान विज्ञप्ति सं. **31/88 -** सीई **1.3.388** की ओर आकर्षित किया गया था अथवा नहीं।

वर्तमान मामले में हमें यह विचार करना होगा कि "थोक औषधि" का जो औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, **1987** के प्रथम अनुसूची व तालिका व विज्ञप्ति सं. **31/88** सीई दिनांक **1.3.88** की तालिका के स्पष्टीकरण के बाद में है, में क्या तात्पर्य है। यह स्पष्ट रूप से थोक औषधि शब्द वाद में आया है, इसका यही तात्पर्य होगा कि जो औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, **1987** में दिया गया है। यह स्पष्ट है कि पदार्थ का प्रयोग जैसा वह है अथवा उसके किसी तत्व का किसी तैयार माल में औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, **1987** के तहत होना चाहिए। आगे वाक्यांश फाॅर्म्यूलेशन की परिभाषा इस प्रकार दी गयी है।

> "एक दवा जो एक या उससे ज्यादा थोक औषधि रखती है अथवा उसके द्वारा प्रोसेस की गई हो जिसमें किसी औषधि कारक की मदद नहीं हो। अथवा वह अंदरूनी अथवा बाहरी उपयोग के लिए हो।"

अतः वाक्य फाॅर्म्यूलेशन (तैयारी) का संदर्भ ऐसी दवा से है जो थोक दवा से तैयार की गयी है।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रयुक्त किया गया तत्व जो मेंथल आई पी टूथपेस्ट पाउडर व शेविंग क्रीम के उत्पादन में प्रयोग में लाया गया वह किसी भी ऐसे माल की तैयारी

में नहीं है जो औषधि के रूप में तैयार की गयी है अथवा जिसमें एक या उससे ज्यादा थोक औषधि हो अतः अधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है।

फिर भी जहां तक धारा **11** का प्रयोग दंड लगाने से संबंद्ध है। हमें इस तथ्य का भान होना चाहिए कि इस संबंध में भिन्न भिन्न स्तर पर अधिकरण व बम्बई उच्च न्यायालय ने भिन्न भिन्न विचार व्यक्त किए हैं। साइटिक इंडिया लिमिटेड बनाम भारत संघ **(1993) 66** ईएलटी **566** बम्बई एवं इस न्यायालय ने एक निर्णय में जो ऊपर बताया गया है**,** से यह स्पष्ट नहीं है कि क्या विधि का प्रावधान एकदम मामले में स्पष्ट है या नहीं एवं अधिकारियों को इस संबंध में समय**-** समय पर विज्ञप्तियां जारी करनी पड़ी हैं। इन परिस्थितियों में हम सोचते हैं कि धारा **11** ए को लागू करना उचित नहीं होगा तथा बढ़े हुए परिसीमाकाल का लगाना भी उचित नहीं होगा। अधिकरण का आदेश इस हद तक संशोधित किया जाता है। अन्य मामलों में अधिकरण का आदेश बनाए रखा जाता है।

तदनुसार अपील आंशिक रूप से स्वीकृत की जाती है।

अपील आंशिक रूप से स्वीकृत की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी राकेश कुमार बंसल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।